

R.F.No. 3040  
16-913

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (प-2) विभाग

क्रमांक:- एफ.3(1)साप्र/2/2013-पार्ट

जयपुर, दिनांक 11 SEP 2013

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5.7.2013 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1-	34/2010	श्री दयानन्द शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, ए-103, जवाहरनगर	ई-921 गोंधीनगर	31.1.2028
2-	35/2010	श्री कमलेश व्यास सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय संयुक्त पंजीयक (मानव संसाधन विकास) सहकारी समितियां, जयपुर।	III/8 गोंधीनगर	30.9.2014
3-	36/2010	श्री सतीश चन्द शर्मा मेल नर्स द्वितीय राजकीय चिकित्सालय गांधीनगर, जयपुर।	III/68 गोंधीनगर	31.5.2024
4-	38/2010	श्री श्याम सिंह पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	III/72 गोंधीनगर	31.7.2027
5-	39/2010	श्री अखेदान चारण वाणिज्यिक अधिकारी, (वादकरण) वाणिज्यिक कर मुख्यालय, जयपुर	III/107 गोंधीनगर	31.8.2026
6-	44/2010	श्री मिसाराम प्रजापत सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।	18/III/ए बहुमंजिला गोंधीनगर	30.11.2022
7-	45/2010	श्री नत्थूराम सिंहल नसिंग अधीक्षक, ग्रेड प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	17/III/सी बहुमंजिला गोंधीनगर	30.9.2013
8-	151/2012	डॉ. बालमुकुन्द शर्मा रेजीडेन्ट डॉक्टर इएनटी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	ए-12, जवाहर नगर जयपुर।	31.3.2040
9-	10/2013	श्रीमती पूनम चौधरी राजस्थान लेखा सेवा RAcS प्रोबेशन वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	ए-99, जवाहर नगर	30.9.2039
10-	23/2013	डा० अतुल आमेटा चिकित्सा अधिकारी आरएचओ( जनरल सर्जरी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-100, जवाहर नगर	30.11.2043
11-	26/2013	डॉ० मनोज कुमार बुढानिया चिकित्सक सीएएसपीजी हड्डी रोग सवाई मानसिंह चिकित्सालय	ए-106, जवाहर नगर	31.8.2042

		जयपुर		
12-	30/2018	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'ए' वार्ड 4, वाणिज्यिक कर विभाग झालाना डूंगरी, जयपुर	ए-157, जवाहर नगर	31.3.2046

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 2 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम, जयपुर
- 5 निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
- 6 संयुक्त पंजीयक (मानव संसाधन विकास सहकारी समिति, जयपुर)
- 7 प्रभारी अधिकारी राजकीय चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर
- 8 आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, जयपुर
- 9 नियन्त्रक, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
- 10 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
- 11 निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राजस्थान, जयपुर
- 12 शासन उप सचिव (वित्त-जीएफएण्डआर), शासन सचिवालय, जयपुर
- 13 वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
- 14 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
- 15 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ जयपुर वि०वि० निगम लि० गांधीनगर/जवाहरनगर जयपुर।
- 16 प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
- 17 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावे।
- 18 संबंधित अधिकारीगण।
- 19 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 20 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
- 21 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- 22 रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव